"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 अगस्त 2005—श्रावण 21, शक 1927

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2005

क्रमांक एफ 6-3/2005/1/एक.—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री अनग कुमार पटनायक, मुख्य न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को दिनांक 29 जून, 2005 से 1 जुलाई 2005 तक (तीन दिवस) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति एवं दिनांक 2 जुलाई, 2005 के सार्वजनिक अवकाश लाभ की अनुमति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. आर. सेजकर, अवर सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.

रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2005

क्रमांक ई-7/05/2005/1/2.—सुश्री शहला निगार, भा.प्र.से., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बस्तर, जगदलपुर को दिनांक 1-8-2005 से 11-8-2005 तक (11 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 31-7-2005 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. सुश्री निगार, भा.प्र.से. अवकाश से लौटने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बस्तर, जगदलपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में सुश्री निगार, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री निगार, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2005

क्रमांक ई-04-07/2005/एक/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26-7-2005 द्वारा श्री सोनमणी बोरा, कलेक्टर, जांजगीर-चांपा को दिनांक 1 अगस्त 2005 से 12 अगस्त 2005 तक आई.आई.एम., बंगलौर में आयोजित प्रशिक्षण हेतु नियोजित किया गया है. श्री बोरा के प्रशिक्षण अवधि में श्री विकासशील, कलेक्टर, जिला बिलासपुर अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ कलेक्टर, जांजगीर-चांपा का कार्य भी संपादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 27 जुलाई 2005

क्रमांक ई-7/46/2004/1/2.—श्री जी. एस. मिश्रा, भा.प्र.से., कलेक्टर, राजनांदगांव को दिनांक 6-6-2005 से 10-6-2005 तक (05 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 11 एवं 12 जून, 2005 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मिश्रा, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक कलेक्टर, राजनांदगांव के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री मिश्रा, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मिश्रा, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री मिश्रा के उक्त अवकाश अवधि में श्री के. पी. सिंह, भा.प्र.से., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजनांदगांव अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ कलेक्टर, राजनांदगांव का चालू कार्य सम्पादित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 जुलाई 2005

क्रमांक/720/282/मबावि/सावि/2005.—राज्य शासन एतद्द्वारा भारतीय बच्चों के दत्तक ग्रहण से संबंधित मामलों के विनियमन के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुसार दत्तक ग्रहण संबंधी गतिविधियों के पर्यवेक्षण, मूल्यांकन एवं समन्वय हेतु विभागीय आदेश क्रमांक 120-310/मबावि/26-1/03, दिनांक 26-2-03 द्वारा राज्य स्तर पर स्थापित दत्तक ग्रहण प्रकोष्ठ को स्वैच्छिक समन्वय एजेंसी (VCA/ACA) के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत करता है.

यह समिति "भारतीय बच्चों के दत्तक ग्रहण संबंधी मामलों के विनियमन हेतु संशोधित दिशा निर्देश" के अध्याय 7 एवं सचिव केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 25-1/05-कारा, दिनांक 28-2-2005 में स्वैच्छिक समन्वय एजेंसी (VCA/ACA) के लिए उल्लेखित समस्त गतिविधियां का संचालन एवं कार्य दायित्वों का निर्वहन करेंगी.

यह आदेश आगामी आदेश पर्यन्त लागू रहेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील कुजूर, सचिव.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2005

क्रमांक/पं./पंग्रविवि/2005/828.—छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994, यथासंशोधित) की धारा 85(2) के साथ पठित धारा 93 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई सारिणी के कालम (2) में वर्णित अधिकारी को अधिनियम की धारा 85 की उपधारा (2) के प्रयोजन के लिए उसके कालम (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित पंचायतों के लिए नामनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :—

सारणी

क्रमांक (1)	अधिकारी (2)	पंचायत (3)
1.	कलेक्टर	ग्राम पंचायत
2.	संचालक, पंचायत	जनपद पंचायत
3.	प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग.	जिला पंचायत

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. सी. मिश्रा, विशेष सचिव.

जनसंपर्क विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 जुलाई 2005

क्रमांक 2162/एच-1177/2001/जसं/2004.—राज्य शासन द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 अप्रैल 2001 छत्तीसगढ़ राजपत्र भाग-एक अंतिम नियम दिनांक 27 अप्रैल 2001 को प्रकाशित छत्तीसगढ़ समाचार पत्र प्रतिनिधि अधिमान्यता नियम चार के अनुसार जिला स्तरीय अधिमान्यता समिति का गठन दो वर्ष के लिए किया गया था. श्री सुहास राजिमवाले स्थानीय संपादक स्वदेश रायपुर अब वहां कार्यरत नहीं है. अत: उनके स्थान पर श्री रितेश साहू ब्यूरो चीफ एन.डी. टी.वी. को समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है. समिति का कार्यकाल पूर्व में गठित दिनांक से दो वर्ष के अवधि तक के लिए मान्य होगा.

रायपुर, दिनांक 28 जुलाई 2005

क्रमांक 2165/ज.सं.सं./24/अधि./पत्र क्र. सं./2005.—छत्तीसगढ़ पत्रकार कल्याण कोष समिति के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए राज्य शासन छत्तीसगढ़ द्वारा पूर्व में गठित पत्रकार कल्याण कोष समिति के सदस्य श्री दिनेश आकुला का राज्य से बाहर स्थानान्तरण होने के कारण उनके स्थान पर श्री रविन्द्र गोयल ब्यूरो चीफ ''जी न्यूज'' को सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 29 जुलाई 2005

क्रमांक 2168/एच-1177/2001/जसं/2004.—राज्य शासन द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 अप्रैल 2001 छत्तीसगढ़ राजपत्र भाग-एक अंतिम नियम दिनांक 27 अप्रैल 2001 को प्रकाशित छत्तीसगढ़ समाचार पत्र प्रतिनिधि अधिमान्यता नियम चार के अनुसार राज्य स्तरीय अधिमान्यता समिति का गठन दो वर्ष के लिए किया गया था. नियमानुसार इसमें 6 पत्रकार सदस्य हो सकते. छठवें पत्रकार सदस्य के रूप में श्री अमित जैन ब्यूरो चीफ आज तक रायपुर को नियुक्त किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ जैन, सचिव.

कृषि विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 जून 2005

क्रमांक/1804/बी-11/8/2005-04/14-2.—भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग के पत्र क्रमांक 13011/15/99 क्रेडिट-II, दिनांक 16 जुलाई, 1999 द्वारा दिये गये अधिकारों को प्रयोग में लाते हुए ''राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना'' के अंतर्गत खरीफ 2005 फसलों के लिये संलग्न अनुसूची के अनुसार तहसीलों को उनके सम्मुख दर्शाई गई खरीफ फसल के लिये राज्य शासन एतद्द्वारा परिभाषित क्षेत्र घोषित करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. एल. जैन, उप-सचिव.

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनांतर्गत खरीफ 2005 हेतु फसलवार अधिसूचित की जाने वाली तहसीलों की सूची

क्रमांक	फसल का नाम	जिला	परिभाषित तहसीलें
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	धान असिंचित	रायपुर	1. रायपुर
			2. आरंग
			3. तिल्दा
			4. अभनपुर
			5. सिमगा
			6. भाटापारा
			7. ब. बाजार
			8. पलारी
			9. कसडोल
			10. बिलाईगढ़
			11. राजिम
			12. गरियाबंद
			13. देवभाग
		दुर्ग	1. दुर्ग
			2. पाटन
			3. गुण्डरदेही
			4. डौण्डी लोहारा
			5. धमधा
			6. बालोद
			7. गुरूर
			8. बेमेतरा
			9. बेरला
			10. साजा
			11. नवागढ़
		राजनांदगांव	1. राजनांदगांव
			2. डोंगरगढ़
			3. डोंगरगांव
			4. खैरागढ़
			5. छुईखदान
			6. मोहला
			7. अम्बागढ़ चौकी
			8. मानपुर
		महासमुंद	1. महासमुंद
			2. सरायपाली
			3. बसना

(1)	(2)	(3)	(4)
		धमतरी	1. धमतरी 2. कुरूद 3. नगरी
		कबीरधाम	1. कबीरधाम (कवर्धा) 2. पण्डरिया
		बस्तर	1. जगदलपुर 2. कोण्डागांव 3. केशकाल 4. नारायणपुर
		उत्तर बस्तर कांकेर	1. कांकेर 2. चारामा 3. नरहरपुर 4. भानुप्रतापपुर 5. अंतागढ़ 6. पखांजूर
		दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा	1. दन्तेवाड़ा 2. भोपाल पट्टनम 3. बीजापुर 4. कोन्टा
		बिलासपुर	1. बिलासपुर 2. पेण्ड्रारोड 3. कोटा 4. तखतपुर 5. मुंगेली 6. लोरमी 7. बिल्हा 8. मस्तुरी
		जांजगीर-चांपा	1. जांजगीर 2. नवागढ़ 3. पामगढ़ 4. चांपा 5. सक्ती 6. मालखरौदा 7. जैजेपुर 8. डभरा

(1)	(2)	(3)	(4)
		कोरबा	1. कोरबा
			2. कटघोरा
			3. पाली
			4. करतला
		सरगुजा	1. अंबिकापुर
			2. राजपुर
			3. लुण्ड्रा
			4. सीतापुर
			5. सूरजपुर
			6. प्रतापपुर
			7. पाल
			8. वाड्रफ नगर
			9. सामरी
		कोरिया	1. बैकुण्ठपुर
			2. सोनहत
			3. मनेन्द्रगढ़
			4. भरतपुर
		रायगढ़	1. रायगढ़
			2. सारंगढ़
			3. खरसिया
			4. घरघोड़ा
			5. लैलूंगा
			6. धरमजयगढ़
		जशपुर नगर	1. जशपुर
			2. कुनकुरी
			3. बगीचा
			4. पत्थलगांव
2.	धान सिंचित	रायपुर	1. रायपुर
			2. आरंग
			3. तिल्दा
			4. अभनपुर
			5. सिमगा
			6. भाटापारा
			7. ब. बाजार
			8. पलारी
			9. कसडोल
			10. बिलाईगढ़
			11. राजिम
			12. गरियाबंद

(1)	(2)	(3)	(4)
		दुर्ग	1. दुर्ग
			2. पाटन
			3. गुण्डरदेही
			4. धमधा
			5. बालोद
			6. गुरूर
		राजनांदगांव	1. राजनांदगांव
			2. डोंगरगढ़
			3. डोंगरगांव
			4. अम्बागढ़ चौकी
		महासमुंद	1. महासमुंद
			2. सरायपाली
			3. बसना
		धमतरी	1. धमतरी
			2. कुरूद
			3. नगरी
		कबीरधाम	1. कबीरधाम (कवर्धा)
		बस्तर	1. जगदलपुर
		उत्तर बस्तर कांकेर	1. कांकेर
			2. चारामा
			3. नरहरपुर
			4. पखांजूर
		दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	1. भोपाल पट्टनम
		बिलासपुर	1. बिलासपुर
			2. पेण्ड्रारोड
			3. कोटा
			4. तखतपुर
			5. मुंगेली
			6. लोरमी
			7. बिल्हा
			8. मस्तुरी
		जांजगीर-चांपा	1. जांजगीर
			2. नवागढ़

(1)	(2)	(3)	(4)
			3. पामगढ़
			4. चांपा
			5. सक्ती
			6. मालखरौदा
			7. जैजेपुर
			8. डभरा
		कोरबा	1. पाली
			2. करतला
		सरगुजा	1. अंबिकापुर
		कोरिया	1. बैकुण्ठपुर
		रायगढ़	1. रायगढ़
			2. सारंगढ़
			3. खरसिया
			4. लैलूंगा
			5. धरमजयगढ़
		जशपुर नगर	1. कुनकुरी
3.	कोदो कुटकी	रायपुर	1. सिमगा
			2. देवभोग
			3. गरियाबंद
		दुर्ग	1. डौंडी लोहारा
			2. बेमेतरा
			3. सांजा
			4. नवागढ़
		राजनांदगांव	1. राजनांदगांव
			2. डोंगरगढ़
			3. खैरागढ़
			4. छुईखदान
			5. मोहला
			6. अम्बागढ़ चौकी
			7. मानपुर
		महासमुंद	1. महासमुंद

(1)	(2)	(3)	(4)
		कबीरधाम	1. कबीरधाम (कवर्धा) 2. पण्डरिया
		बस्तर	1. जगदलपुर 2. कोण्डागांव 3. केशकाल 4. नारायणपुर
		उत्तर बस्तर कांकेर	1. कांकेर 2. चारामा 3. नरहरपुर 4. पखांजूर 5. भानुप्रतापपुर 6. अंतागढ़
		दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा	1. दन्तेवाड़ा 2. कोन्टा
		बिलासपुर	1. मुंगेली 2. लोरमी
		कोरबा	1. कटघोरा
		सरगुजा	1. सूरजपुर 2. प्रतापपुर 3. पाल 4. वाड्रफ नगर
		कोरिया	1. बैकुण्ठपुर 2. सोनहत 3. मनेन्द्रगढ़ 4. भरतपुर
		जशपुर नगर	1. जशपुर
4.	सोयाबीन	दुर्ग	1. धमधा 2. बेरला 3. साजा
		राजनांदगांव	1. राजनांदगांव 2. डोंगरगढ़ 3. खैरागढ़ 4. छुईखदान 5. डोंगरगांव

(1)	(2)	(3)	(4)
		कबीरधाम	1. कवीरधाम (कवर्धा) 2. पण्डरिया
5.	तुअर	रायपुर	1. सिमगा
		दुर्ग	1. धमधा 2. बेमेतरा 3. बेरला 4. साजा
		राजनांदगांव	1. राजनांदगांव 2. डोंगरगढ़ 3. खैरागढ़ 4. छुईखदान
		बस्तर	1. जगदलपुर
		दन्तेवाड़ा	1. कोन्टा
		बिलासपुर	1. पेण्ड्रारोड
		कोरबा	1. कटघोरा
		सरगुजा	1. अंबिकापुर 2. लुण्ड्रा 3. सूरजपुर 4. सीतापुर 5. प्रतापपुर 6. पाल 7. वाड्रफ नगर 8. सामरी
		कोरिया	1. बैकुण्ठपुर 2. मनेन्द्रगढ़ 3. भरतपुर
		जशपुर नगर	1. जशपुर 2. कुनकुरी 3. बगीचा 4. पत्थलगांव
6.	मक्का	कबीरधाम	1. कवर्धा 2. पण्डरिया

(1)	(2)	(3)	(4)
		बस्तर	1. जगदलपुर
			2. कोण्डागांव
			3. केशकाल
			4. नारायणपुर
		कांकेर	1. भानुप्रतापपुर
			2. अंतागढ़
			3. पखांजूर
		दन्तेवाड़ा	1. दन्तेवाड़ा
			2. भोपाल पट्टनम
			3. बीजापुर
			4. कोन्टा
		बिलासपुर	1. पेण्ड्रारोड
			2. कोटा
		कोरबा	1. कटघोरा
			2. पाली
		सरगुजा	1. अंबिकापुर
			2. राजपुर
			3. लुण्ड्रा
			4. सूरजपुर
			5. सीतापुर
			6. प्रतापपुर
			7. पाल
			8. वाड्रफ नगर
			9. सामरी
		कोरिया	1. बैकुण्ठपुर
			2. सोनहत
			3. मनेन्द्रगढ़
			4. भरतपुर
		रायगढ़	1. धरमजयगढ़
		जशपुर नगर	1. जशपुर
			2. बगीचा
			3. पत्थलगांव
7.	मूंगफली	महासमुंद	1. महासमुंद
			2. सरायपाली
			3. बसना

(1)	(2)	(3)	(4)
		दुर्ग	1. बेमेतरा
		बिलासपुर	1. मुंगेली 2. पेण्ड्रारोड
		जांजगीर-चांपा	1. डभरा
		सरगुजा	1. अंबिकापुर 2. सीतापुर 3. सूरजपुर 4. प्रतापपुर
		रायगढ़	1. रायगढ़ 2. सारंगढ़ 3. घरघोड़ा 4. लैलूंगा
		जशपुर नगर	1. बगीचा 2. पत्थलगांव
8.	तिल	रायपुर	1. गरियाबंद
		कबीरधाम	1. कबीरधाम (कवर्धा)
		दन्तेवाड़ा	1. कोंटा
		कोरबा	1. कटघोरा
		सरगुजा	1. पाल 2. वाड्रफनगर
		कोरिया	1. मनेन्द्रगढ़
		रायगढ़	1. घरघोड़ा 2. धरमजयगढ़
9.	ज्वार	बस्तर	1. जगदलपुर
		दंतेवाड़ा	1. कोन्टा

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 25 जुलाई 2005

क्रमांक/क/भू-अर्जन/2005/717.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	नरहरपुर	दुधावा	0.88	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग कांकेर.	दुधावा दायीं तट नहर निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. राजू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जगदलपुर, दिनांक 18 जुलाई 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/28/अ-82/04-05/15/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	उलनार प.ह.नं. 50	0.243	कार्यपालन यंत्री, टी. डी. पी. पी. जल-संसाधन संभाग, जगदलपुर.	पीठापुर जलाशय योजना

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा)जगदलपुर/कार्यपालन यंत्री टी.डी.पी.पी. जल संसाधन विभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 18 जुलाई 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/30/अ-82/04-05/13/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	केशलूर	0.19	अधिशासी अभियंता (सिविल) कार्यवाहक कमान अधिकारी 108 सड़क इकाई डाकघर गीदम.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 16 के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा) भू-अर्जन अधिकारी जगदलपुर एवं अधिशासी अभियन्ता (सिविल) कार्यवाहक कमान अधिकारी 108 सड़क इकाई डाकघर गीदम के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 26 जुलाई 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/11/अ-82/04-05/04/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	हाटकचोरा प.ह.नं. 60 (अ)	20.29	कार्यपालन अभियन्ता छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संभाग जगदलपुर.	आवासीय भवनों का निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी जगदलपुर/कार्यपालन अभियंता छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 29 जून 2005

क्रमांक 642/भू-अर्जन/अ.वि.अ./27-अ/82/सन् 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	बकमा प.ह.नं. 132	0.10	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द.	केशवा व्यपवर्तन योजना के नहर क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 22 जुलाई 2005

रा. प्र. क्र. 08/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	नौरंगपुर प.ह.नं. 1	0.109	कार्यपालन अभियन्ता, लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर.	सपनई सेतु पहुंच मार्ग

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 जुलाई 2005

रा. प्र. क्र. 03/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	डिक्सी प.ह.नं. 1	0.903	कार्यपालन अभियन्ता, लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर.	बोराई सेतु पहुंच मार्ग.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 23 जुलाई 2005

क्रमांक/भू-अर्जन/56.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	सोनपुरी	0.486	कार्यपालन अभियन्ता, हसदेव बॅराज संभाग रामपुर/कोरबा.	ह.दा.त.न. के खैरभवना शाखा नहर के सोनपुरी माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 23 जुलाई 2005

क्रमांक-क भू-अर्जन/57.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	कनबेरी प.ह.नं. 55	1.206	कार्यपालन यंत्री, हसदेव बैराज जल प्रबंध संभाग रामपुर/कोरबा.	भलपहरी माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 23 जुलाई 2005

क्रमांक-क भू-अर्जन/58.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	कनबेरी प.ह.नं. 11	0.577	कार्यपालन यंत्री, हसदेव बैराज जल प्रबंध संभाग रामपुर/कोरबा.	भलपहरी माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 26 जुलाई 2005

क्रमांक-59 भू-अर्जन/05—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	सराईपाली प.ह.नं. 20	0.356	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2 चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	सिवनी डिस्ट्रीब्यूटरी हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 26 जुलाई 2005

क्रमांक-60 /भू-अर्जन/05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	रींवापार प.ह.नं. 20	0.032	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2 चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	चांपा शाखा नहर निर्माण हेतु..

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 26 जुलाई 2005

क्रमांक-61 भू-अर्जन/05—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	दर्राभाठा प.ह.नं. 20	0.587	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2 चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	दर्राभाठा माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 26 जुलाई 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/62.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	सराईपाली प.ह.नं. 21	0.064	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6, सक्ती.	सराईपाली माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 26 जुलाई 2005

क्रमांक-63 भू-अर्जन/05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	फरसवानी प.ह.नं. 30	0.303	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2 चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	बालपुर माइनर नं. 01 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 26 जुलाई 2005

क्रमांक-64 भू-अर्जन/05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	चिचोली प.ह.नं. 19	2.259	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2 चांपा, जिला- जांजगीर-चांपा, (छ.ग.)	कचोरा माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 26 जुलाई 2005

क्रमांक-65 भू-अर्जन/05—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	कचोरा प.ह.नं. 19	1.433	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2 चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	कचोरा माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 26 जुलाई 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/66.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	करतला	नवापारा प.ह.नं. 9	0.136	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 3 सक्ती.	डेवियर माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 21 जुलाई 2005

क्रमांक 08/अ-82/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेमेतरा	गांगपुर	3.32	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	भुरकी जलाशय में प्रभावित

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेमेतरा में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 21 जुलाई 2005

क्रमांक 10/अ-82/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	नवागढ़	गुंजेरा	20.36	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	एरमशाही जलाशय में प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेमेतरा में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 21 जुलाई 2005

क्रमांक 11/अ-82/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेमेतरा	कोसा	1.01	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	भनसुली माइनर में प्रभावित

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेमेतरा में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 21 जुलाई 2005

क्रमांक 12/अ-82/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	नवागढ़	कामता	0.83	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	कामता जलाशय में प्रभावित

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेमेतरा में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 21 जुलाई 2005

क्रमांक 13/अ-82/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेमेतरा	करही	1.39	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	करही जलाशय के निर्माण में प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेमेतरा में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 21 जुलाई 2005

क्रमांक 11/अ-82/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	नवागढ़	नवागढ़	3.97	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	छेरकापुर माइनर में प्रभावित

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेमेतरा में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 4 मई 2005

क्रमांक 52/A 82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	नगवाही	7.05	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, मरवाही, मु. पेण्ड्रारोड.	अपरखुज्जी जलाशय नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 4 जून 2005

क्रमांक-क भू-अर्जन/13-अ/82 वर्ष 04-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	भाटापारा	भरतपुर प. ह. नं. 12/33	3.322	कार्यपालन अभियंता, म.ज.प. डिसनेट संभाग, क्र. 3, तिल्दा.	खपरी उप नहर निर्माण हेतु

रायपुर, दिनांक 4 जून 2005

क्रमांक-क भू-अर्जन/18-अ/82 वर्ष 04-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	भाटापारा	कोदवा प. ह. नं. 14/31	4.207	कार्यपालन अभियंता, म.ज.प. डिसनेट संभाग, क्र. 3, तिल्दा.	कोनी उप नहर निर्माण हेतु

रायपुर, दिनांक 4 जून 2005

क्रमांक-क भू-अर्जन/19-अ/82 वर्ष 04-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	भाटापारा	बम्हनीडीह प. ह. नं. 18/36	0.942	कार्यपालन अभियंता, म.ज.प. डिसनेट संभाग, क्र. 3, तिल्दा.	केसला उप नहर निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 8 जून 2005

क्रमांक-क भू-अर्जन/3-अ/82 वर्ष 04-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	भाटापारा	करही प. ह. नं. 18/36	1.194	कार्यपालन अभियंता, म.ज.प. डिसनेट संभाग, क्र. 3, तिल्दा.	केसला उप नहर निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 8 जून 2005

क्रमांक-क भू-अर्जन/10-अ/82 वर्ष 04-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	भाटापारा	टेहका प. ह. नं. 5/41	4.726	कार्यपालन अभियंता, म.ज.प. डिसनेट संभाग, क्र. 3, तिल्दा.	दतरेंगी वितरक नहर निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 8 जून 2005

क्रमांक-क भू-अर्जन/12-अ/82 वर्ष 04-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	भाटापारा	खपरी प. ह. नं. 19/37	2.992	कार्यपालन अभियंता, म.ज.प. डिसनेट संभाग, क्र. 3, तिल्दा.	खपरी उप नहर निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 8 जून 2005

क्रमांक-क भू-अर्जन/17-अ/82 वर्ष 04-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	भाटापारा	बोरसी प. ह. नं. 12/39	4.150	कार्यपालन अभियंता, म.ज.प. डिसनेट संभाग, क्र. 3, तिल्दा.	बोरसी उप नहर निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 30 जुलाई 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 25/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	गोरका प.ह.नं. 14	24.904	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	कोक-ओवन, ब्लास्ट फर्नेस एवं सिंटर प्लांट हेतु औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 30 जुलाई 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 26/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	कलमी प.ह.नं. 14	31.491	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	कोक-ओवन, ब्लास्ट फर्नेस एवं सिंटर प्लांट हेतु औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 30 जुलाई 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 27/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	सराईपाली प.ह.नं. 14	11.549	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	कोक-ओवन,ब्लास्ट फर्नेस एवं सिंटर प्लांट हेतु औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 28 जुलाई 2005

क्रमांक 5403/भू-अर्जन/ 2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-खैरागढ़

(ग) नगर/ग्राम-उरईडबरी, प.ह.नं. 9

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.23 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	19	1.16
	20/1	0.97
	21	1.50
	22/1	0.60
योग	4	4.23

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-उरई डबरी जलाशय के स्पील चैनल कार्य निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 28 जुलाई 2005

क्रमांक 5404/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-खैरागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-सारंगपुर, प.ह.नं. 9.
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.78 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
2/1	0.09
3	0.15
4/6	0.19
5	0.26
6/1	0.26
10/1	0.30
14/1	0.20
98/1	0.22
98/2	0.18
97	0.18
99	0.13
100	0.37
101/1	0.15
101/2	0.07
102	0.34
104	0.14
110/3	0.20
110/2	1.01
111	0.70
128/1	0.64
योग 20	5.78

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-उरई डबरी जलाशय के मुख्य नहर कार्य निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

राज्य शासन के संकल्प

जल संसाधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

"संकल्प"

क्रमांक 4419/पी-150/जसं/तशा/अवि/04/डी-4 रायपुर, दिनांक 21-9-2004

विषय : छत्तीसगढ़ राज्य में "राज्य जल संसाधन परिषद्" का गठन.

1. छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य में जल संसाधनों के विकास एवं प्रबंधन के लिये उच्च स्तर पर नीति निर्धारण एवं कार्य योजना की तैयारी तथा क्रियान्वयन पर दिशा निर्देश देने के लिये "राज्य जल संसाधन परिषद्" का गठन करने का विनिश्चय किया है.

2. राज्य जल संसाधन परिषद् का स्वरूप निम्नानुसार रहेगा :—

(एक)	मुख्य मंत्री	-	अध्यक्ष
(दो)	मंत्री, जल संसाधन विभाग	-	उपाध्यक्ष
(तीन)	मंत्री, वित्त विभाग	-	सदस्य
(चार)	मंत्री, कृषि विभाग	-	सदस्य
(पांच)	मंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	-	सदस्य
(छ:)	मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	-	सदस्य
(सात)	मंत्री, ऊर्जा विभाग	-	सदस्य
(आठ)	मंत्री, वन विभाग	-	सदस्य
(नौ)	मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग	-	सदस्य
(दस)	मंत्री, पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग	-	सदस्य
(ग्यारह)	मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन	-	सदस्य
(बारह)	प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग	-	सदस्य सचिव

3. राज्य जल संसाधन परिषद् की सहायता के लिये कार्यकारिणी समिति रहेगी. कार्यकारिणी समिति कार्य योजना के निर्धारण एवं क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी एवं परिषद् द्वारा निर्धारित/निर्मित नीति का पालन करायेगी. कार्यकारिणी समिति का स्वरूप निम्नानुसार रहेगा :—

"कार्यकारिणी समिति"

(एक)	मुख्य सचिव, छ. ग. शासन	-	अध्यक्ष
(दो)	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग	-	सदस्य
(तीन)	प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि विभाग	-	सदस्य
(चार)	प्रमुख सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	-	सदस्य
(पांच)	प्रमुख सचिव/सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	-	सदस्य
(छ:)	प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग	-	सदस्य
(सात)	प्रमुख सचिव/सचिव, वन विभाग	-	सदस्य
(आठ)	प्रमुख सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	-	सदस्य
(नौ)	प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग	-	सदस्य
(दस)	प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग	-	सदस्य
(ग्यारह)	विशेष कर्त. अधि./संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग	-	सदस्य सचिव

4. छ. ग. राज्य, जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन हेतु कार्य-योजना निर्धारित करने बाबत् विभिन्न संबंधित विभागों से जिलेवार जानकारी एकत्रित कर, उसकी समीक्षा उपरांत उसे निर्धारित प्रपत्र में कार्यकारिणी समिति को प्रस्तुत करने के लिए प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में, प्रत्येक संबंधित विभाग द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारियों को शामिल कर, एक तकनीकी समिति रहेगी. इस समिति का स्वरूप निम्नानुसार रहेगा :—

"तकनीकी समिति"

(एक)	प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग	-	अध्यक्ष
(दो)	नोडल अधिकारी, कृषि विभाग	-	सदस्य
(तीन)	नोडल अधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	-	सदस्य

(चार)	नोडल अधिकारी, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	-	सदस्य
(पांच)	नोडल अधिकारी, वन विभाग	-	सदस्य
(छ:)	नोडल अधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग	-	सदस्य
(सात)	नोडल अधिकारी, पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग	-	सदस्य
(आठ)	नोडल अधिकारी, जल संसाधन विभाग	-	सदस्य सचिव

5. जिला स्तर पर जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन हेतु कार्य योजना के निर्माण एवं क्रियान्वयन के लिये जिला जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन समिति रहेगी. इस समिति का स्वरूप निम्नानुसार रहेगा :—

"जिला जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन समिति"

(एक)	कलेक्टर	-	अध्यक्ष
(दो)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	-	उपाध्यक्ष
(तीन)	वन मण्डलाधिकारी (सर्व)	-	सदस्य
(चार)	कार्यपालन अभियंता (सर्व), लो. स्वा. यांत्रिकी	-	सदस्य
(पांच)	उप संचालक, नगरीय कल्याण	-	सदस्य
(छ:)	महाप्रबंधक, उद्योग	-	सदस्य
(सात)	उप संचालक, कृषि	-	सदस्य
(आठ)	सहायक अभियंता, क्रेडा	-	सदस्य
(नौ)	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग (मुख्यालय)	-	सदस्य सचिव

6. **परिषद् के कार्य** :— छ. ग. राज्य जल संसाधन परिषद् निम्नलिखित कार्य करेगा :—

(एक) राष्ट्रीय जल नीति एवं उसके परिपेक्ष्य में राज्य जल संसाधन विकास नीति को लागू कराना एवं प्रगति की समीक्षा करना.

(दो) राष्ट्रीय जल नीति एवं राज्य जल संसाधन विकास नीति के अनुसार उचित कार्य योजना निर्धारित कर उसे लागू कराना.

(तीन) राष्ट्रीय जल नीति एवं राज्य जल संसाधन विकास नीति के अनुसार राज्य में एकीकृत जल संसाधन विकास हेतु उचित संस्थान/संगठनों की स्थापना पर निर्णय.

(चार) राज्य में जल संसाधनों से संबंधित गतिविधियों में कार्यरत विभिन्न संस्थाओं/संगठनों द्वारा प्राप्त उपलब्धियों का आंकलन/समीक्षा.

(पांच) जल संसाधनों के शीघ्र एवं व्यवस्थित विकास के लिए विभिन्न परियोजनाओं हेतु वित्तीय उपलब्धता के ढांचे पर निर्णय.

(छ:) जल संसाधन के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों के प्रशिक्षण एवं विकास के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करना.

(सात) राज्य के जल संसाधनों के विकास एवं प्रबंधन से संबंधित कोई भी बिन्दु/समस्या, जो परिषद् के समक्ष प्रस्तुत हो, उस पर विचार कर उचित निर्णय उपरांत आवश्यकतानुसार केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय/राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् को उचित अनुशंसा सहित प्रस्तुत करना.

7. राज्य जल संसाधन परिषद् द्वारा लिये गये निर्णयों को प्रमुख सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग के हस्ताक्षर से शासकीय आदेश के रूप में जारी किया जायेगा.

8. राज्य जल संसाधन परिषद् के निर्णयों का पालन करने हेतु संबंधित विभाग बंधनकारी माने जायेंगे.

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सामान्य जानकारी के लिये छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित किया जाए.

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत शासन को सामान्य जानकारी के लिये "भारत के राजपत्र" में प्रकाशित करने का निवेदन करते हुए भेजी जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सरजियस मिंज, प्रमुख सचिव.

" RESOLUTION"

No. 4419/P-150/WR/TC/OM/04/D-4 Raipur, Dated 21-9-2004

Subject : Constitution of "State Water Resources Council" in Chhattisgarh State.

1. Government of Chhattisgarh have decided to constitute a "State Water Resources Council" for policy decisions at higher level, preparation of action plans and guidance for its implementation, in development and management of water resources in the state.

2. "State Water Resources Council" shall consist of—

1.	Chief Minister	-	Chairman
2.	Minister, Water Resources Department	-	Vice Chairman
3.	Minister, Finance Deptt.	-	Member
4.	Minister, Agriculture Deptt.	-	Member
5.	Minister, Public Health Engg. Deptt.	-	Member
6.	Minister, Commerce & Industry Deptt.	-	Member
7.	Minister, Energy Deptt.	-	Member
8.	Minister, Forest Deptt.	-	Member
9.	Minister, Rural Development Deptt.	-	Member
10.	Minister, Environment & Urban Development Deptt.	-	Member
11.	Chief Secretary, Government of Chhattisgarh	-	Member
12.	Principal Secretary, Water Resources Deptt.	-	Member-Secretary

3. There will be a executive committee to assist the "State Water Resources Council". The executive committee will review the preparation of action plan and implementation of the policies decided by the state water resources council.

The executive committee shall be as follows :—

"Executive Committee"

1.	Chief Secretary, Government of Chhattisgarh	-	Chairman
2.	Principal Secretary/Secretary, Finance Deptt.	-	Member

3.	Principal Secretary/Secretary, Agriculture Deptt.	-	Member
4.	Principal Secretary/Secretary, P.H.E. Deptt.	-	Member
5.	Principal Secretary/Secretary, Commerce & Industry Deptt.	-	Member
6.	Principal Secretary/Secretary, Energy Deptt.	-	Member
7.	Principal Secretary/Secretary, Forest Deptt.	-	Member
8.	Principal Secretary/Secretary, Rural Dev. Deptt.	-	Member
9.	Principal Secretary/Secretary, Environment & Urban Development Deptt.	-	Member
10.	Principal Secretary Water Resources Department.	-	Member
11.	Officer-on-Special Duty/Joint Secretary, Water Resources Department.	-	Member-Secretary

4. There will be a technical committee headed by "Engineer-in-Chief" Water Resources Department and consisting of nodal officers nominated by each concerned department to collect the district wise information and to submit it to the executive committee in prescribed proforma after it's review for deciding the Action plan on State Water Development and Management. This committee will be as given below :—

"Technical Committee"

1.	Engineer-in-Chief, Water Resources Department	-	Chairman
2.	Nodal Officer, Agriculture Deptt.	-	Member
3.	Nodal Officer, P.H.E. Deptt.	-	Member
4.	Nodal Officer Commerce & Industry Deptt.	-	Member
5.	Nodal Officer, Forest Deptt.	-	Member
6.	Nodal Officer Rural Development Deptt.	-	Member
7.	Nodal Officer, Environment & Urban Development Deptt.	-	Member
8.	Nodal Officer, Water Resources Deptt.	-	Member-Secretary

5. At district level, for development and management of water resources and implementation of action plan, District level committee shall be constituted as given below :—

"District Water Resources Development & Management Committee"

1.	Collector	-	Chairman
2.	Chief Executive Officer, Jila Panchayat	-	Vice Chairman
3.	District Forest Officer	-	Member
4.	Executive Engineer (All), P.H.E. Deptt.	-	Member
5.	Deputy Director, Urban Welfare	-	Member
6.	Managing Director, Industry	-	Member
7.	Dy. Director, Agriculture	-	Member
8.	Assistant Engineer, Creda	-	Member
9.	Executive Engineer (H.Q.), Water Resources Department.	-	Member-Secretary

6. **Duties of the State Water Resources council :—** The duties of State Water Resources Council are as follows—

(One) In pursuance of the directives given in the "National Water Policy", to review the State Water Resources Development Policy and its implementations.

(Two) To formulate appropriate action plan as per the "State Water Resources Development Policy" and the "National Water Policy" and to ensure its implementation.

(Three) To set-up appropriate organisations and institutions for integrated development of water resources as envisaged under the "National Water Policy" and "State Water Resources Development Policy".

(Four) To assess and review the achievements of the different institutions/agencies working on the activities related to water resources development.

(Five) To decide on the pattern of funding of the projects for speedy and systematic development of the water resources.

(Six) To formulate guidelines for training and appropriate programmes to the officials engaged in the field of water resources development.

(Seven) To consider any matter/problems associated with the development and management of the state's water resources as may be brought up before the council and decide or make suitable recommendations to the ministry of Water Resources, Government of India/National Water Resources Council.

7. The decisions taken by the "State Water Resources Council" shall become a government order and shall be issued under signature of the Principal Secretary/Secretary, Water Resources Department, Chhattisgarh.

8. All decisions, taken by the "State Water Resources Council" shall be binding on all the concerned departments for implementation.

ORDER

It is ordered that this "Resolution" be published in the Chhattisgarh Gazette for general information.

It is also ordered that a copy of this "Resolution" be sent to the Government of India with request for its publication in Gazette of India for general information.

By order and in the name of the Govenor of Chhattisgarh,
SERJIUS MINJ, Principal Secretary.